

न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, खटीमा, जिला ऊधम सिंह नगर।

फौजदारी वाद संख्या-1856/2021

सरकार बनाम मनप्रीत सिंह उर्फ लाल

धारा-8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट।

मुकदमा अपराध संख्या-324/2021

थाना-सितारगंज, जिला उधम सिंह नगर।

दिनांक: 23.08.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त मनप्रीत सिंह उर्फ लाल उपस्थित नहीं है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त मनप्रीत सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र न्यायालय में पेश किया गया है जिसके अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त मनप्रीत सिंह की दिनांक 20.07.2023 को मृत्यु हो चुकी है, जिसकी पुष्टि रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु) ग्राम पंचायत हल्दुवा द्वारा जारी अभियुक्त मनप्रीत सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र से भी होती है, जिस कारण अब इस मामले में अभियुक्त मनप्रीत सिंह के विरुद्ध कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। अतः अभियुक्त मनप्रीत सिंह उर्फ लाल की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध उपरोक्त दाण्डिक वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

(भारती मंगलानी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, खटीमा,
जिला ऊधम सिंह नगर।